वन विभाग हरियाणा

"आवश्यकसूचना–17"

(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा प्रदेश द्वारा दिनांक 30.11..2021 को हुई सभा में निर्णय लिया गया था कि काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए जिला पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर के लिए आवेदन करने हेतू ऑनलाईन पोर्टल ***www.haryanaforest.gov.in*** खोला गया था लेकिन कोविड के कारण कुछ इच्छुक आवेदक अपना फार्म निर्धारित तिथि 15.02.2022 तक समय पर ऑनलाईन नहीं भर सके।

अतः उक्त सम्बन्धित जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अब नए लाईसेंस के फार्म ऑनलाईन भरने का समय **15 दिन अर्थात 01.03. 2022 से 15.03.2002** तक बढ़ाया गया है। बाकि सभी निर्धारित शर्तें एवं नियम तथा आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देश तथा अन्य **"आवश्यक सूचना–16"** अनुसार ही रहेंगे । सम्बन्धित IP address http://164.100.137.122/ है।

(हस्ताक्षर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वानिकी),
एवं सदस्य सचित, राज्य स्तरीय समिति,
काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा, सी.18, वन भवन,
सैक्टर 6, पंचकूला।